न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–76/2011
CIS NO. TS-264/2018

विजय कुमार गुप्ता.....वादी

बनाम

रामनारायण मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
14.05.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 11.07.2023 को दिये गये आवेदन की सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 11.07.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु निर्धारित है। दिनांक 23.05.2023 को प्रतिवादी साक्ष्य न्यायालय के आदेश से बंद हो गया। प्रतिवादीगण द्वारा अलमीरा में रखे कागजातों को देखा जा रहा था जिसमें अन्य कागजातों के साथ प्रश्नगत भूमि से संबंधित मालगुजारी रसीद एवं एक दस्तावेज भी मिला जो तीस वर्ष पुराना है। न्यायहित में प्रश्नगत भूमि से संबंधित मालगुजारी रसीद एवं दस्तावेज को प्रस्तुत वाद में प्रदर्श अंकित कराना आवश्यक है। प्रतिवादीगण के उक्त कागजात प्रदर्श नहीं हुये तो प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा न्याय पाने से वंचित हो जायेगा। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण को दिनांक 23.05.2023 को साक्ष्य बंद करने के आदेश को रिकॉल करते हुये कागजात को प्रदर्श कराने हेतु प्रतिवादी साक्ष्य का आदेश देने की कृपा करें। इसके लिए प्रतिवादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेंगें। वादी की ओर से प्रतिवादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 26.09.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रस्तुत आवेदन आदेश 18 नियम 17 एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता में पोषणीय नहीं है। क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.07.2023 को कागजात दाखिल किया गया तथा अभी प्रदर्श भी अंकित नहीं हुआ है, वैसी सुरत में किस गवाह को पुनः गवाही हेतु रिकॉल करना है यह आवेदन में दर्ज नहीं है। पक्षकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण कारण भी दर्शित नहीं किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–76/2011</u>

<u>CIS NO. TS-264/2018</u>

विजय कुमार गुप्ता.....वादी

बनाम

रामनारायण मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 14.05.2024	जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख दिनांक 27.06.2023 से बहस हेतु नियत है। प्रतिवादीगण का साक्ष्य दिनांक 23.05.2023 को न्यायालय द्वारा बंद कर दिया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 11.07.2023 को प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया गया तथा आवेदन के साथ लिस्ट ऑफ डाक्यूमेंट के साथ मूल दस्तावेज दाखिल किये गये। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का अंतिम रूप से न्याय निर्णयन किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रस्तुत वाद में दिनांक 23.05.2023 को प्रतिवादीगण का साक्ष्य बंद किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल दस्तावेज वादग्रस्त भूमि से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन को मो0–500/– रूपये हर्जे पर इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा दाखिल दस्तावेजों के संबंध में ही साक्ष्य दिया जाय तथा दिनांक 23.05.2023 के आदेश को वापस लेते हुये अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु निर्धारित किया जाता है। आगामी दिनांक 06.06.2024 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	